(1)

प्राथमिकता / मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश
संख्या–785 / 60–3–11–11(2रिट) / 11

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः: दिनांक 28जून,2011

विषयः– किमिनल अपील नं0–135 आफ 2010 श्री बुद्वदेव कर्माकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–93(1) / भा0स0 / 60–3–11–11(2रिट) / 11, दिनांक 23मई,2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किमिनल अपील नं0–135 आफ 2010 श्री बुद्वदेव कर्माकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22फरवरी,2011 के अनुपालन में कार्ययोजना के अनुसार वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं तथा सेक्स वर्कर्स को तकनीकी / व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं उनके पुनर्वासन तथा रोजगार के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। इस निमित्त सेक्स वर्कर्स के चिन्हांकन के लिए वृहद रुप से विशेष सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

2– अतः अनुरोध है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में तत्काल सभी नगर क्षेत्रों में सेक्स वर्कर्स के सर्वे का कार्य पूर्ण करा कर परिणाम (संख्या) निदेशक महिला कल्याण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे इस संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये । इस सर्वे में मण्डल स्तरीय उद्वार अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–785(1) / 60–3–11,तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक,महिला कल्याण,उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस क्षेत्र में जो भी एन0जी0ओ0 उज्जवला स्कीम के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं, उनसे भी इस सर्वेक्षण कार्य में सहयोग प्राप्त करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।